

नाम
ना एवं
व्याज
वादी
आं.
दि.
कक्ष
नं.
१३

अर्थात् २ से ४ व १० से १३ की भांति से
बनील ने शर्पना पर ० न र-॥ एच पेश किया
निर्णय हेतु बनील वादी को डिलाई गई। परावली
वादी के जवाब पर हेतु दिनांक ११/६/२०१९ को
पेश हो।

शुद्धि

~~उपखण्ड अधिकारी
देसूरी~~

११/६/२०१९ कुलाय उपस्थित।
बनील शर्पनी ने शर्पना पर का जवाब
पेश किया। परावली वादी के बहस पर
हेतु दिनांक १३/६/२०१९ को पेश हो।

~~उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पत्नी)~~

१३/६/२०१९ कुलाय उपस्थित।
बहस सुनी गई। परावली वादी के
निर्णय हेतु दिनांक १५/६/२०१९ को पेश हो।

~~उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पत्नी)~~

१६/६/२०१९ कुलाय उपस्थित।
मूल वाद खारिज हो चुका है। एच पर
चलने योग्य नहीं है जो मेन्टेंनेबल नहीं होने से
खारिज किया जाता है। परावली मूल वाद के साथ
सालान्द होकर फंडल शुमार होकर नम्बर से ५ न हो।

~~उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पत्नी)~~

१६/६/१९